SSR-2017-6

ई–मेल / डाक
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2016 / SSR-2017/ 4273 जयपुर, दिनांक 23-11-16

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,**
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2017 – पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3252 दिनांक 24.08.2016 एवं पत्र क्रमांक 3530 दिनांक 15.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न चरणों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इन बिन्दुओं पर चर्चा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

2. **मतदाता सूची** – पुनर्गठित मतदान केन्द्रों के आधार पर भागवार मतदाता सूची की PDF File बनाकर एक सी.डी. आप द्वारा निर्वाचन विभाग को प्रेषित कर दी गई है। आप कृपया उक्त सी.डी. एवं प्रारूप मतदाता सूची की एक हार्ड कॉपी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करावें तथा फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रिन्ट की एक प्रति की बीएलओ के पास उपलब्धता सुनिश्चित करें।
3. **नये बीएलओ की नियुक्ति** – दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में नवसृजित मतदान केन्द्रों पर नये बीएलओ की नियुक्ति करने, उन्हें उपखंड स्तर / जिला स्तर पर उचित प्रशिक्षण देने हेतु निर्देश दिए गए है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर नियुक्त बीएलओ / सुपरवाईजर्स को प्रशिक्षित किया गया है। कृपया उक्त सूचना ECINET पर भी अविलम्ब आदिनांक की जाए।
4. **भवन परिवर्तन** – मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान जिन मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन किए गए है, मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन उन्हीं भवनों (नये) में किया गया है, को सुपरवाईजर्स के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

5. **समाहित मतदान केन्द्र** – जो मतदान केन्द्र समाहित होने के कारण समाप्त हो गये है उनमें बीएलओ की नियुक्ति समाप्त कर इन बीएलओ को अन्य मतदान केन्द्रों में नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

6. **विशेष अभियान तिथियां** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27.11.2016 (रविवार), दिनांक 04.12.2016 (रविवार) को सभी बीएलओ अपने मतदान केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक उपस्थित रहकर दावे व आपत्तियॉ प्राप्त करेंगे। सभी सुपरवाईजर्स ERO/AERO भ्रमण कर उक्त तिथियों पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। DEO एवं Dy. DEO भी कुछ मतदान केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे।

7. पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण के विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे :–

7.1. भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा प्रपत्र 6 के साथ जन्म प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रपत्र 6 का भाग IV आवश्यक रूप से पूर्ति करवायी जाए।

7.2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में प्रपत्र 6, 7, 8 व 8क के प्राप्त होने के तुरंत बाद इनकी फीडिंग ERMS के माध्यम से करवायें एवं कम से कम 7 दिवस बाद इनकां निस्तारण करना शुरू करें। निर्धारित समय में निस्तारण ERMS पर ही करें तभी मान्य होगा। ERMS पर डेटा एन्ट्री का कार्य दिन–प्रतिदिन आवश्यक रूप से किया जाए। मतदान केन्द्रों के विभिन्न आवेदन पत्रों का संग्रहण सुपरवाईजर्स के माध्यम से नियमित रूप से करवाया जाकर डेटा एन्ट्री यथा स्थिति ERO कार्यालय अथवा जिले की अनुबंधित फर्म के माध्यम से की जाए।

7.3. **Online आवेदन पत्र** – दिनांक 18.11.2016 से दिनांक 09.12.2016 की अवधि में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रिंट करवाकर बीएलओ से सत्यापन करवायें, तत्पश्चात इनका ऑनलाइन निस्तारण करें।

7.4. **सतत् अद्यतन (Continuous Updation) के दौरान प्राप्त शेष आवेदन पत्रों का निस्तारण** – उक्त आवेदन जो Online Pending है उनका निस्तारण भी किया जाना है। ध्यान रखें कि पुराने आवेदन पत्र पुराने मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर होंगे। इन्हें छांटकर अब नयी भाग संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर लें एवं नई भाग संख्या के आधार पर निस्तारण करें।

8. गुणवत्तापूर्ण मतदाता सूची तैयार करना –

8.1. शत–प्रतिशत 100% फोटो एकत्रित करना – प्रपत्र 1–8 में प्रस्तुत सांख्यिकी सूचना के आधार पर जिला गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर में मतदाता सूची में शत–प्रतिशत मतदाताओं के फोटो मुद्रित है। शेष जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में फोटो रहित मतदाताओं के फोटो प्रारूप 8 में एकत्रित कर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किया जाए।

8.2. शत–प्रतिशत मतदाताओं को EPIC जारी करना – जिला गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर में शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। शेष जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि मतदाता सूची में पंजीकृत शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी किए जावें। गत् पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में जो नए मतदाता पंजीकृत हुए है, सभी को पहचान पत्र जारी कर उपलब्ध करावें।

8.3. लिंग अनुपात(Gender Ratio)– राज्य के निर्धारित मापदंड के अनुसार जनसंख्या का अनुपात 928 है मतदाताओं का लिंग अनुपात 902 है जो जनसंख्या के लिंग अनुपात के अनुसार होना चाहिये। सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले है यथा पाली – 908/987=92% , सीकर – 878/947=92.7%, जालौर – 892/952=93.7% है। जयपुर में मतदाता लिंगानुपात जनसंख्या लिंगानुपात से अधिक है जो अव्यवाहरिक है। (जयपुर – 883/852=103.6%) पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इस विसंगति को दूर किया जावे।

8.4. EP Ratio – राज्य का Census का EP Ratio 586 है जबकि मतदाता का अनुपात 563 है। यह अनुपात कुछ जिलों में बहुत ज्यादा है यथा पाली– 682, झुंझुनू– 654, राजसमंद– 614 है, जो यह दर्शाता है कि Duplicate मतदाता बडी संख्या में है। कृपया पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में मतदान केन्द्रवार आंकडों का विशलेषण कर इसे निर्धारित मापदण्डानुसार लाने के प्रयास किए जाए।

उक्त अनुपात कुछ जिलों में बहुत कम है यथा जैसलमेर– 475, बाड़मेर– 485, बांसवाड़ा – 502 जो यह दर्शाता है कि मतदाताओं का पंजीयन काफी कम है। इसे भी निर्धारित मापदण्डानुसार लाया जाए।

8.5. Age Cohort - राज्य में 18 से 19 वर्ष आयु की जनसंख्या का अनुपात 4.23% है जबकि मतदाता का अनुपात 1.42% है जोकि बहुत कम है। कुछ जिलों में युवाओं का पंजीकरण कम है यथा अजमेर – 0.08%, बूंदी – 0.10%, डूँगरपुर – 0.12%, जोधपुर – 0.13% जो बहुत ही कम है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिले के

शैक्षणिक संस्थानों में ब्रांड ऐम्बेसेडर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाकर युवाओं का अधिक से अधिक पंजीयन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. **SVEEP कार्ययोजना** – आपके जिले की तैयार की गई स्वीप कार्ययोजना के अनुसार व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। राजनैतिक दलों के साथ एवं मीडिया के साथ बैठक आयोजित की जाए। स्वीप कार्ययोजना की क्रियान्विति इस प्रकार से सुनिश्चित की जावे जिससे की भारत निर्वाचन आयोग के ध्येय वाक्य – **"कोई मतदाता नहीं छूटेगा"** लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

10. **MIS Dashboard** – **MIS Dashboard** पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रगति की सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11. **विशेष योग्य जनों का सुलभ पंजीकरण** – मतदान केन्द्रवार विशेष योग्य जनों का सर्वे किया जाकर विधानसभा क्षेत्रवार रिकॉर्ड का संधारण किया जाए, तथा इनका पुनरीक्षण की अवधि में सुलभ पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

12. **कन्ट्रोल रूम** – जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब जिला मुख्यालय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए। कन्ट्रोल रूम के प्रभारी के नाम एवं टेलीफोन नम्बर की सूचना अविलम्ब विभाग को प्रेषित की जावे।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीया,

(डॉ. रेखा गुप्ता)
अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

क्रमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/SSR-2017/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त संभागीय आयुक्तगणों को प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि जिलों में अपने भ्रमण के दौरान उक्त दिशा–निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, निर्वाचन विभाग, कृपया निर्देशों को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान